

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./एफ-1477/2019/100

दिनांक : 07/02/19

आदेश

निम्नलिखित कार्मिको को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर निजी भ्रमण हेतु विदेश जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अवधि तक एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक व पद	पदस्थापन स्थान	विदेश भ्रमण स्थान	अवधि
1.	श्री केसरी नन्दन शर्मा, लैब टेक्नीशियन	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला सेठी कॉलोनी, जयपुर	सिंगापुर	दिनांक 11.04.2019 से 16.04.2019 तक (6 दिवस)
2.	श्री आशीष बेनीवाल, प्रयोगशाला सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रतननगर (चूरु)	थाईलैंड	दिनांक 01.03.2019 से 08.03.2019 तक (08दिवस)

शर्त है:-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0, जयपुर

दिनांक : 07/02/19

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./एफ-1477/2019/100

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ (चूरु)।
2. उप निदेशक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रतननगर (चूरु)।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. संबंधित कार्मिक को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0, जयपुर